न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0—233 सन् 2018

सरोज कुमार सिंह वगैरह................................वादी।

बनाम

जवाहर राम वगैरह...........................प्रतिवादीगण।

दिनांक— 15.09.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 39 नियम 7 वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 04.03.2022 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि वादी की विवादित भूमि अर्जीनालिश मद नं0 01 वो 02 की भूमि को स्वरूप वो यथास्थिति न्यायहित में रेकर्ड पर आना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि अधिवक्ता आयुक्त को नियुक्ति कर आवेदन में लिखित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन मंगाने की कृपा की जाए।

प्रतिवादी की ओर से वादी के उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर तकरारी एराजी की वर्तमान वस्तुत स्थिति अभिलेख पर लाने हेतु दाखिल किया है। वादी का आवेदन में कथन है कि विवादित भूमि अर्जीनालिश मद नं0 01 वो 02 की भूमि को स्वरूप वो यथास्थिति न्यायहित में रेकर्ड पर आना आवश्यक है। ऐसी परिस्थिति में वाद के सम्यक न्याय निर्णयन के लिए तकरारी एराजी का वर्तमान भौतिक स्वरूप अभिलेख पर आना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति आवेदन दिनांक 04.03.2022 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी अधिवक्ता आयुक्त शुल्क 3000/—रूपया नजारत में जमा करें। अधिवक्ता आयुक्त के रूप में श्री राजु रजक को नियुक्ति किया जाता है।

वाद दिनांक....................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।